

निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग

खनिज भवन, उदयपुर- 313001 दूरभाष : 2423110, फेक्स (0294) - 2410526

ई-मेल: dmgs.uda.mg@rajasthan.gov.in

क्रमांक: DMG/DMGONS/DMFT/1834-85

दिनांक: 31-12-2019

खनि अभियन्ता - अजमेर/ अलवर/ आमेर/ उदयपुर/ करौली/ कोटा/ चित्तौड़गढ़/ जयपुर/ जालौर/ जैसलमेर/ जोधपुर/ झुंझुनूं/ धौलपुर/ नागौर/ डूंगरपुर/ प्रतापगढ़/ ब्यावर/ बांसवाड़ा/ बाड़मेर/ बिजौलिया/ बीकानेर/ बूंदी-1/ बूंदी-2/ भरतपुर/ भीलवाड़ा/ मकराना/ राजसमंद-1/ राजसमंद-2/ रामगंजमंडी/ सीकर/ सिरोही/ सोजतसिटी/ श्रीगंगानगर।

सहायक खनि अभियन्ता- ऋषभदेव/ कोटपूतली/ गोटन/ टोंक/ चुरू/ झालावाड़/ दौसा/ नीम का थाना/ निम्बाहेड़ा/ बालेसर/ बांरा/ रूपवास/ सलूमबर/ सवाईमाधोपुर/ सावर/ हनुमानगढ़।

विषय:-लीजधारको द्वारा जमा कराये जाने वाली डी.एम.एफ राशि को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन लिये जाने के संबंध में।

प्रसंग:- निदेशालय पत्र 1709-1748 दिनांक 12.12.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के प्रासंगिक पत्र दिनांक 12.12.2019 से विभागीय खननपट्टाधारीयों/एस.टी.पी.धारको/ठेकेदारों हेतु विभागीय ऑनलाईन सिस्टम के माध्यम से डी.एम.एफ राशि को ऑनलाईन ही जमा कराये जाने का प्रावधान किया गया है। जिसके अन्तर्गत खननपट्टाधारीयों/एस.टी.पी.धारको/ठेकेदारों द्वारा स्वयं के विभागीय लॉगिन के माध्यम से डी.एम.एफ चालान जनरेट कर डी.एम.एफ राशि का अग्रिम भुगतान किया जा सकता है।

इस क्रम में दिनांक 01.01.2020 से संबंधित खननपट्टाधारीयों/एस.टी.पी.धारको के ऑनलाईन डी.एम.एफ हेड में ई-रवन्ना जनरेशन से पूर्व पर्याप्त राशि का होना आवश्यक है। अन्यथा संबंधित द्वारा पेड (Paid) ई-रवन्ना जनरेट नहीं की जा सकेगी। साथ ही दिनांक 01.01.2020 से जरिये ई-रवन्ना किये जाने वाले खनिज निर्गमन के अनुसार बनने वाली डी.एम.एफ राशि को भी ऑनलाईन सिस्टम द्वारा स्वतः ही संबंधित द्वारा जमा करायी गयी अग्रिम डी.एम.एफ राशि से काट ली जावेगी।

इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके क्षेत्राधिकार के समस्त खननपट्टा/एस.टी.पी. धारको द्वारा दिनांक 31.12.2019 रात्रि 12:00 बजे तक जारी पेड (Paid) ई-रवन्ना के अनुसार बनने वाली डी.एम.एफ राशि की गणना करावें एवं दिनांक 31.12.2019 तक उनके द्वारा जरिये मेन्यूअल चालान जमा करायी गयी डी.एम.एफ राशि से इसका मिलान कर डेबिट/क्रेडिट नोट में उपलब्ध DMF प्रावधान के जरिये बकाया/अग्रिम भुगतान राशि को दिनांक 15.01.2020 तक संबंधित के DMF Head में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करावें।

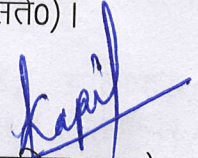
नोट:- चूंकि एस.टी.पी. धारको द्वारा डी.एम.एफ राशि का अग्रिम भुगतान किया जाता है अतः एस.टी.पी. धारको के दिनांक 31.12.2019 रात्रि 12:00 तक बनने वाली डी.एम.एफ राशि की प्राथमिकता पर गणना कर संबंधित के खाते में डी.एम.एफ राशि का इन्द्राज कराना सुनिश्चित करावें ताकि एस.टी.पी. धारको को समस्या ना हो।



(हर्ष सावनसुखा)
अति.निदेशक (प्रशासन)RAS

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अति.निजी सचिव, निदेशक, के. कार्यालय, उदयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, के. कार्यालय, उदयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक खान (मु0)/खान पर्या. एवं विकास (मु.)/सर्त. (मु.)
/जयपुर/जोधपुर/ उदयपुर/कोटा ।
4. अधीक्षण खनि अभियन्ता वृत्त- जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / कोटा /
बीकानेर/भरतपुर/ भीलवाडा/ अजमेर/राजसमन्द।
5. समस्त खनि अभियन्ता (सर्त0)/समस्त सहायक खनि अभियन्ता (सर्त0)।



(कपिल लूणा)

एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर

निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग

खनिज भवन, उदयपुर - 313001

दूरभाष : 2423110, फेक्स (0294) - 2410526

e-mail : dmgoms.uda.mg@rajasthan.gov.in

क्रमांक: **DMS/DMSOMS/DMFT/1709-1748**

दिनांक: **12-12-2019**

खनि अभियन्ता - अजमेर/ अलवर/ आमेट/ उदयपुर/ करौली/ कोटा/ चित्तौड़गढ़/ जयपुर/ जालौर/ जैसलमेर/ जोधपुर/ झुंझुनूं/ धौलपुर/ नागौर/ डूंगरपुर/ प्रतापगढ़/ ब्यावर/ बांसवाड़ा/ बाडमेर/ बिजौलिया/ बीकानेर/ बूंदी-1/ बूंदी-2/ भरतपुर/ भीलवाड़ा/ मकराना/ राजसमंद-1/ राजसमंद-2/ रामगंजमंडी/ सीकर/ सिरौही/ सोजतसिटी/ श्रीगंगानगर।

सहायक खनि अभियन्ता- ऋषभदेव/ कोटपूतली/ गोटन/ टोंक/ चुरू/ झालावाड़/ दौसा/ नीम का थाना/ निम्बाहेड़ा/ बालेसर/ बांरा/ रूपवास/ सलूम्बर/ सवाईमाधोपुर/ सावर/ हनुमानगढ़।

विषय:-लीजधारको द्वारा जमा कराये जाने वाली डी.एम.एफ राशि को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन लिये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय ऑनलाईन सिस्टम में लीजधारको द्वारा जमा करायी जाने वाली डी.एम.एफ राशि को ऑनलाईन लिये जाने का प्रावधान किया गया है। जिसके अन्तर्गत लीजधारक द्वारा स्वयं के विभागीय लॉगिन के माध्यम से डी.एम.एफ चालान जनरेट कर डी.एम.एफ राशि का अग्रिम भुगतान किया जा सकता है तथा ऑनलाईन भुगतान की गयी डी.एम.एफ राशि लीजधारक द्वारा उनके डिमाण्ड रजिस्टर में देखी जा सकती है।

लीजधारक द्वारा खनन निर्गमन (खनना जनरेशन) से पूर्व डी.एम.एफ राशि का अग्रिम भुगतान किया जाना आवश्यक होगा। सिस्टम द्वारा खनना जनरेशन के समय रॉयल्टी के साथ-साथ बनने वाली डी.एम.एफ. राशि को भी स्वतः ही डी.एम.एफ हेड से काट ली जावेगी तथा डी.एम.एफ. हेड में राशि नहीं होने की स्थिति में ई-खनना जनरेट नहीं की जा सकेगी।

ऑनलाईन डी.एम.एफ राशि जमा कराये जाने का प्रावधान दिनांक 12.12.2019 से समस्त लीजधारको के लॉगिन पर उपलब्ध करा दिया गया है तथा दिनांक 17.12.2019 से खनना जनरेशन से पूर्व संबंधित लीजधारक के डी.एम.एफ. हेड में राशि होना आवश्यक होगा।

इस क्रम में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 17.12.2019 से डी.एम.एफ. राशि को पूर्णतः विभागीय ऑनलाईन सिस्टम से ही लिया जाना सुनिश्चित कराते हुए अपने क्षेत्राधिकार के समस्त लीजधारको इस संबंध में सूचित करावें।

ऑनलाईन डी.एम.एफ राशि भुगतान की प्रक्रिया संलग्न है।

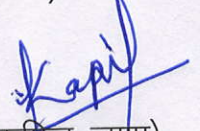
(हर्ष सावनसुखा)
अति.निदेशक (प्रशासन)RAS

क्रमांक: DMG/DMGOMS/DMFT/1749-1768

दिनांक: 12-12-2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अति.निजी सचिव, निदेशक, के. कार्यालय, उदयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, के. कार्यालय, उदयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक खान (मु0)/खान पर्या. एवं विकास (मु.) /सर्त. (मु.)
/जयपुर/जोधपुर/ उदयपुर/कोटा ।
4. अधीक्षण खनि अभियन्ता वृत्त- जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / कोटा /
बीकानेर/भरतपुर/ भीलवाड़ा / अजमेर/राजसमन्द।
5. समस्त खनि अभियन्ता (सर्त0)/समस्त सहायक खनि अभियन्ता (सर्त0)।

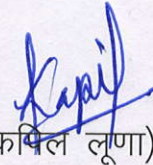


(कपिल लूणा)

एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर

ऑनलाईन डी.एम.एफ राशि भुगतान की प्रक्रिया निम्नानुसार है—

1. लीजधारक सर्वप्रथम अपने SSOID के माध्यम से विभागीय वेबसाईट पर लॉगिन करे।
2. लॉगिन करने के पश्चात डेशबोर्ड पर उपर दिये गये क्विक लिंक पर क्लिक करे।
3. क्विक लिंक में दिये गये "Challan Deposit (DMFT)" पर क्लिक करे।
4. अब दर्शाये गये फॉर्म में राशि अंकित कर Save बटन पर क्लिक करे।
5. इसके पश्चात Submit & Pay पर बटन पर क्लिक कर राशि का ऑनलाईन भुगतान करे।
6. आगे की प्रक्रिया अन्य ऑनलाईन चालान राशि भुगतान की तरह ही समान है।
7. लीजधारक द्वारा डी.एम.एफ. संबंधित जमा कराये गये समस्त चालान इस पेज के उपर दिये गये लिस्ट ऑप्शन के साथ-साथ संबंधित के डिमाण्ड रजिस्टर में भी देखे जा सकते है।
8. इस संबंध में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या पर विभागीय हेल्प डेस्क ई-मेल (helpdesk.mines@rajasthan.gov.in) अथवा 0294-2423110 पर सम्पर्क किया जा सकता है।



(कपिल लूणा)

एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर